

A/S

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

जिलासीन अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

28/अपील/21

01.09.2021

08.10.2021

1. श्री राजेश आ० औमप्रकाश जाति पांचाल निवासी ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. श्री योगेश आ० औमप्रकाश जाति पांचाल निवासी ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार महोदय दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ड

उपरिस्थित—

अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से — श्री राजकुमार माथुर एड०  
रेस्पो० की ओर से — परोकार सरकार

### निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्ट को भूमि खसरा सं. 50, 51, 52 रकबा 5.12 बीघा किरम चरागाह भूमि ग्राम जयनिवास का अतिचारी मानते हुए बेदखली, 931 रु. शास्ति आरोपित की गई हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट की विधिवत् तामील नहीं हुई है। सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण है। अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त भूमि पर वैध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। अतिक्रमणशुद्धा भूमि पंचायत के खाते में से सरकार के खाते में दिये जाने के आदेश हो चुके हैं परन्तु इसका अमल नहीं होने से वर्तमान में चरागाह के रूप में दर्ज हैं। माननीय राजस्व अपीलीय अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.1996 में भी इस भूमि पर से बेदखल नहीं करने के आदेश दिये हुये हैं। अतः अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 को निरस्त किया जावे।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि पर अतिचार किया है। अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस जारी किया जाकर अपीलाधीन

अति० जिला कलक्टर  
बून्दी (गन्ना)

किया गया है, जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। अतः अपील अपीलान्त होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा सं. 50, 51, 52 रकबा 5.12 बीघा किस्म चरागाह भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित हैं। अपीलांत द्वारा यह कथन किया गया है कि खसरा सं. 50, 51, 52 रकबा 5.12 बीघा पंचायत के खाते से सिवायचक खाते में दिये जाने के आदेश पूर्व में ही हो चुके हैं। इस संबंध में अपील अपीलांत द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 11 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण में खसरा संख्या 50, 51, 52 का अंकन नहीं है। उक्त नामान्तरकरण का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किन कारणों से नहीं हुआ है, यह हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट नहीं होता है। यदि भूमि का अमल दरामद कर भी दिया जाता तो उसकी किस्म राजकीय सिवायचक के रूप में होती। अपीलांत अतिक्रमी हैं जिसे कानूनन अतिक्रमण की भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांत द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकरण में प्रभावी नहीं है। वर्तमान में खसरा संख्या 50, 51, 52 रकबा 5.12 बीघा वाके ग्राम जयनिवास की भूमि राजस्व रेकार्ड में चरागाह भूमि दर्ज है। उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतएव: परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.07.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भेजी जावें। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर

(अमानुल्लाह) खान

अति० जिला कलक्टर,

बूंदी